

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की वित्त समिति की बैठक कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक-20.12.2023 को विश्वविद्यालय अतिथि गृह में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त:-

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही-

- | | |
|---|--------------|
| 1. प्रो० वंदना सिंह
कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. श्री गोविन्द सिंह (प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, वित्त)
अपर निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ)
वाराणसी परिक्षेत्र,
वाराणसी। | सदस्य |
| 3. डा० बृज किशोर त्रिपाठी (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र० शासन, लखनऊ
वाराणसी। | सदस्य |
| 4. प्रो० जे० एन० मिश्रा,
जे-6 सोनल अपार्टमेन्ट,
जार्ज टाउन, इलाहाबाद-211002 | सदस्य |
| 5. श्री महेन्द्र कुमार
कुलसचिव | सदस्य |
| 6. श्री व्यास नारायण सिंह
परीक्षा नियंत्रक | सदस्य |
| 7. संजय कुमार राय
वित्त अधिकारी | सदस्य / सचिव |

निर्धारित कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

प्रस्ताव सं०-01

दिनांक-18.3.2023 एवं 18.4.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की अनुपालन आख्या

निर्णय

समिति अनुपालन आख्या से संज्ञानित हुई।

प्रस्ताव सं०-02

दिनांक-18.3.2023 एवं 18.4.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा दिनांक-18.3.2023 एवं 18.4.2023 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं०-03

(क) वित्त समिति की बैठक दिनांक-28.3.2022 के प्रस्ताव सं०-9 एवं विश्वविद्यालय परिसर संचालित विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा में विरोधाभास को स्पष्ट किये जाने पर विचार।

निर्णय

(क) वित्त समिति की बैठक दिनांक-28.3.2022 के प्रस्ताव सं०-9 में शोध प्रबंध के स्थान पर शोध पत्र पढ़े जाने की संस्तुति की गयी। समिति द्वारा प्रस्ताव सं०-9 की शेष शर्तों को यथावत बनाये रखे जाने की अनुशंसा की गयी।

(ख) वित्त समिति की बैठक दिनांक-18.3.2023 के प्रस्ताव सं०-13 में शोध प्रबंध के स्थान पर शोध पत्र पढ़े जाने की संस्तुति की गयी। समिति द्वारा प्रस्ताव सं०-13 की शेष शर्तों को यथावत बनाये रखे जाने की अनुशंसा की गयी।

प्रस्ताव सं०-04

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक चिठ्ठा (बैलेंस शीट) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक चिठ्ठा (बैलेंस शीट) के अनुमोदन की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-05

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर परिसर में स्थित प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) संस्थान तथा संकाय भवन में संचालित विभिन्न विभागों हेतु बजटीय व्यवस्था के सापेक्ष संभावित आय कम होने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि की व्यवस्था सामान्य खाता संख्या-4539000100038627 से धनराशि का अंतरण कर व्यय व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के संबंध में विचार।

निर्णय

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) संस्थान तथा संकाय भवन में संचालित विभिन्न विभागों हेतु बजटीय व्यवस्था के सापेक्ष संभावित आय कम होने के फलस्वरूप शिक्षकों/कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य मदों में व्यय का भुगतान किये जाने में उत्पन्न कठिनाई को दृष्टिगत रखते बजटीय सीमान्तर्गत तीन वर्ष के लिए मुख्य खाता सं०-4539000100038627 से धनराशि का अंतरण कर विभिन्न भुगतान किये जाने के लिए समिति द्वारा सर्व सम्मति से संस्तुति इस शर्त के साथ की गयी कि तीन वर्ष के पश्चात संबंधित विभागों की आय-व्यय का सम्यक मूल्यांकन कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विभाग/संस्थान का आय-व्यय का वर्षवार विवरण पृथक से रखा जाय एवं संबंधित विभागों के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रमों में छात्रों की प्रवेश संख्या में वृद्धि किये जाने व अन्य संगत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किये जाने हेतु नियमान्तर्गत अपने स्तर से प्रयास किये जाने के लिए भी समिति द्वारा संस्तुति की गयी। समिति द्वारा संबंधित विभागों में शोध कार्य किए जाने तथा प्रोजेक्ट के माध्यम से भी आय में वृद्धि करने के प्रयास किए जाने का अभिमत व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव सं०-06

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर परिसर स्थित प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) इन्स्टीट्यूट आफ फिजिकल साइंस आफ स्टडी एवं रिसर्च तथा सेंटर फार रिन्यूएबल एनर्जी एण्ड नैनो साइंस एण्ड टेक्नालॉजी संस्थान में स्थित लिफ्ट का मरम्मत के उपरांत विश्वविद्यालय के मुख्य खाता से भुगतान किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) इन्स्टीट्यूट आफ फिजिकल साइंस आफ स्टडी एवं रिसर्च तथा सेंटर फार रिन्यूएबल एनर्जी एण्ड नैनो साइंस एण्ड टेक्नालॉजी संस्थान में स्थित लिफ्ट की मरम्मत के उपरांत विश्वविद्यालय के मुख्य खाता सं०-4539000100038627 से रु० 78,694/- (अठहत्तर हजार छः सौ चौरानवे मात्र) भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-०७

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर परिसर में शैक्षिक सत्र 2023-24 से संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक, इंडस्ट्रियल टूर, सेमिनार, परीक्षा एवं विविध शुल्क के निर्धारण पर विचार।

निर्णय

विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2023-24 से संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम का शैक्षिक, इंडस्ट्रियल टूर, सेमिनार, परीक्षा एवं विविध शुल्क कार्य परिषद एवं वित्त समिति के स्वीकृति के प्रत्याशा में तत्कालीन मा० कुलपति के आदेश दिनांक-25.7.2023 के क्रम में निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

क्रम सं०	मद का नाम	प्रति सेमेस्टर	वार्षिक शुल्क
1.	शैक्षिक शुल्क	8,500.00	17,000.00
2.	इंडस्ट्रियल टूर, सेमिनार, वकशाप आदि	2000.00	4,000.00
3.	परीक्षा शुल्क	800.00	1600.00

सूच्य है कि उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नवत् शुल्क छात्रों द्वारा पृथक से देय होगा:-

क्रम संख्या	मद का (शुल्क)	धनराशि
1.	नामांकन	200.00
2.	खेलकूद	150.00
3.	छात्र कल्याण	100.00
4.	प्रोसेसिंग शुल्क	100.00
5.	अंक पत्र शुल्क	100.00
6.	रोवर्स/रैंजर्स	24.00
7.	उपाधि	200.00 अंतिम सेमेस्टर

समिति उपरोक्त से संज्ञानित हुई। इसके अतिरिक्त उक्त पाठ्यक्रम का आय-व्यय स्पष्ट रखे जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-०८

रोवर्स/रैंजर्स शुल्क वृद्धि पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को आगामी शैक्षिक सत्र एवं वित्त समिति की अगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-09

डा० पुनीत सिंह, इम्पैनल्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के वेतन/पारिश्रमिक वृद्धि पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक-6.6.2023 के कार्य सूची सं०-12 में लिए गए निर्णय के क्रम में गठित समिति के कार्यवृत्त को रखे जाने एवं निर्देश प्राप्त करने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-10

श्री विवेक कुमार सिंह, रिटेनर का प्रस्ताव समिति के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

समिति विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं०-10225/सामा०प्रशा०/2023, दिनांक-17.11.2023 जिसके द्वारा श्री विवेक कुमार सिंह को रिटेनर नियुक्त किया गया है तथा वित्त समिति की बैठक दिनांक-3.7.2018 के प्रस्ताव सं०-4 में लिये गये निर्णय के अनुसार रिटेनर/अधिवक्ता का शुल्क निर्धारित किया गया है, से समिति संज्ञानित हुई।

1. रिटेनर शुल्क	रु० 15,000.00
2. अधिवक्ता शुल्क	
(क) प्रत्येक वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल होने पर	रु० 10,000.00
(ख) वाद निर्णीत होने के उपरान्त	रु० 5,000.00
(ग) मूल आदेश की प्रति प्राप्त होने पर	रु० 1,000.00
योग-	रु० 16,000.00

समिति द्वारा उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त विविध व्यय हेतु रु० 500/- निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-11

(क) स्थानीय भत्ता (मार्ग व्यय) रु० 300/- के स्थान पर रु० 500/- किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से स्थानीय भत्ता (मार्ग व्यय) रु० 300/- को बढ़ाकर रु० 500/- किये जाने तथा इसे दिनांक-1.4.2024 से भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ख) वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित शिक्षक संघ, जौनपुर के पत्र दिनांक-19.12.2023 के क्रम में स्ववित्तपोषित शिक्षकों को प्रदान किये जा रहे डी०ए० (दैनिक भत्ता) रु० 240/- में वृद्धि किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से दैनिक भत्ता रु० 240/- को बढ़ाकर रु० 300/- किये जाने तथा इसे दिनांक-1.4.2024 से भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

कुलसचिव के धन्यवाद देने के पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

(संजय कुमार राय)
वि०अधि०/सचिव

(प्र० वंदना सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष